

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 120/2010

दायर दिनांक 27.08.2010

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भँवरलाल पुत्र टोडाराम, जाति-जाट, निवासी-क्यामसर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. कुशालचन्द पुत्र टोडाराम, 2. बजरंगलाल पुत्र टोडाराम, जाति-जाट, निवासी-क्यामसर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान्।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 11.06.2018

शरहद मौजा क्यामसर तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 200 रकबा 26.12 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 208 रकबा 24.19 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 06.04 बीघा व खसरा नम्बर 324/76 रकबा 11.19 बीघा कुल रकबा 69.14 बीघा के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 28.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प-नूवा में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कैम्प दिनांक 01.06.2018 में विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन


सहायक कलक्टर
डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या 120/2010
 दायर दिनांक 27.06.2010, निर्णय दिनांक 11.06.2018
 भैवरलाल बनाम् कुशलचन्द, वगैरा।

दिनांक 01.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा क्यामसर तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 200 रकबा 26.12 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 208 रकबा 24.19 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 06.04 बीघा व खसरा नम्बर 324/76 रकबा 11.19 बीघा कुल रकबा 69.14 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक क्लर्क

डीडवाना

सहायक कलेक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-नूवा

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में

सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक क्लर्क

डीडवाना

सहायक कलेक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-नूवा

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 120/2010

दायर दिनाँक 27.08.2010

वादी		प्रतिवादीगण
1. भँवरलाल पुत्र टोडाराम, जाति-जाट, निवासी-क्यामसर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कुशालचन्द पुत्र टोडाराम, 2. बजरंगलाल पुत्र टोडाराम, जाति-जाट, निवासी-क्यामसर, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक 11.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा क्यामसर तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 200 रकबा 26.12 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 208 रकबा 24.19 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 06.04 बीघा व खसरा नम्बर 324/76 रकबा 11.19 बीघा कुल रकबा 69.14 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 01.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 01.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-नूवा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डी.डि.वामा
कोर्ट कैम्प—नूवा